

नहीं 1 (11) / 2009-डी (पेन / पोल)

भारत के शासनाध्यक्ष

रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग

नई दिल्ली - 110011

दिनांक: 23 दिसंबर 2014

को

सेना स्टाफ के चीफ

नेवल स्टाफ के चीफ

एयर स्टाफ के चीफ

विषय: अतिरिक्त पेंशन के लिए परिवार के पेंशनधारकों की जन्म तिथि / आयु में बदलाव

महोदय,

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, एमओडी पत्र संख्या 17 (4) 12008 (1) - डी (पेन / पॉलिसी) दिनांक 11.11.2008 और भारत सरकार, सं। दिनांक 18 अगस्त 2009 को, पेंशन भुगतान आदेश / निर्वहन प्रमाण पत्र या अन्य कार्यालय के रिकॉर्ड की जन्म तिथि / आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन / परिवार पेंशन की अनुमति है। केवल स्थितियों में जहां गर्भ / उम्र की तारीख के बारे में जानकारी के पीपीओ / निर्वहन प्रमाणपत्र या कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं, पुराने पेंशनरो / परिवार पेंशनरो को अतिरिक्त पेंशन / परिवार पेंशन निम्नलिखित documents- के आधार पर अनुमति दी गई

(ए) पैन कार्ड

(बी) मैट्रिक्यूलेशन प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के संबंध में जानकारी) (सी) पासपोर्ट

(डी) ईसीएचएस कार्ड

(ई) ड्राइविंग लाइसेंस (यदि इसमें जन्म तिथि है)

(च) चुनाव आई डी कार्ड

2. कठिनाई के संबंध में एमओडी में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं

पीपीओ में जन्म / आयु के जन्म पर अतिरिक्त पेंशन पाने के लिए पुराने परिवार के पेंशनधारियों के कारण। वे उपरोक्त पैरा 1 में निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर पीपीओ में जन्म तिथि के परिवर्तन के लिए अनुरोध कर रहे हैं। मामले में मंत्रालय में जांच की गई है और (13.09.2012 को पी एंड पीडब्ल्यू ओएम नंबर 1/23/2012-पी और पीडब्ल्यू (ई) 13 दिसंबर के दिनांक के अनुसार)

(i) पीपीओ में दर्ज सशस्त्र बलों के जवानों की जन्मतिथि / आयु की तारीख से

सेवा रिकॉर्ड और मुक्ति / सेवानिवृत्ति / सेवानिवृत्ति आदि की तारीख के आधार जन्म / उम्र के इस तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाता है पीपीओ में सेवानिवृत्त / मृतक पेंशनभोगी की बर्थ / उम्र की तारीख में परिवर्तन की इजाजत दी का कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मामले की आगे जांच की गई है पुरानी पेंशनभोगी द्वारा उम्र के प्रमाण के रूप में उपर्युक्त दस्तावेजों में कठिनाई को देखते हुए। अब यह निर्णय लिया गया है कि यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड 80 वर्ष या उससे अधिक के अतिरिक्त पेंशन / परिवार पेंशन के भुगतान के लिए जन्म / आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

(ii) परिवार पेंशनभोगी (माता-पिता और जीवनसाथी) के जन्म / आयु में परिवर्तन के लिए अनुरोध

पीपीओ में पीएफआई 1 / आधार द्वारा जेसीओ / ओआरएस के मामले में और कमीशन अधिकारियों के मामले में सर्विस मुख्यालय परिवार के पेंशनभोगी के जन्म तिथि के संबंध में एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर कार्ड और घोषणा। यदि विभाग के प्रमुख / रिकार्ड कार्यालय संतुष्ट हो जाते हैं तो पीपीओ में जन्मतिथि में एक घटना को रिकॉर्ड किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। जैसा कि पीपीओ में प्रवेश को सुधारा जाना चाहिए, ओएसी रिकॉर्ड्स / ऑफिस ऑफ हेड की सलाह पर यह पीआरएस द्वारा पीआरपी द्वारा जारी किया जाएगा।

(iii) ऊपर पैरा 1 को छोड़कर अन्य कोई दस्तावेज और यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड द्वारा जारी किया जाएगा पीपीओ में परिवार के पेंशनभोगी की जन्म तिथि / आयु में बदलाव के लिए स्वीकार किया जाएगा।

3. पीपीओ में गलत जन्म तिथि रिकॉर्ड करने की किसी भी संभावना से बचने के लिए

भविष्य सशस्त्र बल कार्मिक पति या पत्नी या परिवार के विवरण के साथ माता-पिता की जन्म तिथि के प्रमाण के रूप ULDAI द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड के ऊपर या पैरा 1 में प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजों में से एक संकेत दिया / के रूप में सेवा अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड में संकेत की आवश्यकता होगी / कर्मियों। बच्चों के मामले में, यदि वह इस तरह के स्कूल में पढ़ाई कर रहा है या शिक्षा के बोर्ड से उम्र का सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

4. रक्षा मंत्रालय के साथ ये मुद्दे

31 (7) / 09 / एफआईएन / पीएएन दिनांक 21/11/2014

5. हिंदी संस्करण का पालन करना होगा।

आपका ईमानदारी से,

(प्रेम प्रकाश)

भारत सरकार के अंतर्गत अवर सचिव

प्रतिलिपि: -

मानक वितरण सूची के अनुसार